

संदर्भ सं. 7(15)/जीएचवाई/एसीओ/2003/339

दिनांक: 15.07.2024

आदेश

चाय (विपणन) नियंत्रण आदेश, 2003 के खंड 13(3) के तहत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, सभी चाय निर्माताओं द्वारा अनिवार्य अनुपालन हेतु निम्नलिखित निदेश जारी किए गए हैं।

क्र.सं.	विवरण	असम और त्रिपुरा क्षेत्र के कछार/बराक घाटी जिलों में स्थित विनिर्माण इकाइयों के लिए कार्यान्वयन की तिथि	असम और त्रिपुरा के कछार/बराक घाटी को छोड़कर असम और पूर्वोत्तर क्षेत्र के सभी भागों में स्थित विनिर्माण इकाइयों के लिए कार्यान्वयन की तिथि
i.	सभी चाय फैक्ट्रियों के लिए हरी पत्तियां तोड़ने/प्राप्त करने की अंतिम तिथि	30 नवंबर, 2024	30 नवंबर, 2024
ii.	सभी इकाइयों के लिए फैक्ट्रियों में हरी पत्ती के प्रसंस्करण की अंतिम तिथि	2 दिसंबर, 2024	2 दिसंबर, 2024
iii.	सभी चाय विनिर्माण इकाइयों द्वारा अपने विनिर्माण संयंत्र बंद करने के संबंध में टी बोर्ड को सूचना/घोषणा करने की अंतिम तिथि	3 दिसंबर, 2024	3 दिसंबर, 2024
iv.	छंटाई, गैपिंग, पैकिंग (सीटीसी एवं ऑर्थोडॉक्स/ग्रीन टी) पूरा करने और पैक की गई चाय को इनवॉइस मार्किंग के साथ अधिसूचित पैक चाय भंडारण क्षेत्र में ले जाने की अंतिम तिथि	13 दिसंबर, 2024 (सीटीसी चाय विनिर्माण हेतु) 18 दिसंबर, 2024 (ऑर्थोडॉक्स/ग्रीन टी विनिर्माण हेतु)	13 दिसंबर, 2024 (सीटीसी चाय विनिर्माण हेतु) 18 दिसंबर, 2024 (ऑर्थोडॉक्स/ग्रीन टी विनिर्माण हेतु)

- निदेश का पालन करने में विफलता की स्थिति में, बोर्ड द्वारा चाय (विपणन) नियंत्रण आदेश, 2003 के खंड 5 (1) (डी) के अनुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
- यह आदेश दिनांक 26-09/2018 को आयोजित बोर्ड की 237वीं बैठक में लिए गए निर्णय के आधार पर जारी किया गया है।

3. जिन बागानों ने पारंपरिक विधि के अलावा छंटाई/अन्य खेती के तरीके अपनाए हैं और जल्दी फसल की उम्मीद करते हैं/साथ ही पारंपरिक, हरी और विशेष चाय के उत्पादक बोर्ड के संबंधित कार्यालय से छूट मांग सकते हैं। हालाँकि, यह आदेश काफी पहले जारी किया जाता है ताकि चाय बागान और चाय फैक्ट्रियाँ तदनुसार योजना बना सकें।
4. बोर्ड के अधिकारी जो सहायक निदेशक चाय विकास पद से नीचे के पद का नहीं हैं, वे बोर्ड के मुख्यालय को सूचित करते हुए उचित क्षेत्र सत्यापन के बाद, ऊपर क्रम सं. 3 (यदि कोई हो) के तहत बताए गए मामलों के लिए मांगी गई छूट जारी करने के लिए अधिकृत हैं। ऐसी छूट जारी करते समय, अधिकारी छंटाई की प्रथाओं, सिंचाई सुविधाओं की उपलब्धता, जल्दी बारिश के बारे में ध्यान में रखेंगे जिससे जल्दी फलशिंग हो सकती है और फलशिंग पैटर्न जिसमें निर्मित चाय की छंटाई में देरी के लिए वैध कारण शामिल हैं।
5. छूट के किसी भी अनुरोध का निपटारा प्राप्ति की तिथि से 5 कार्य दिवस के भीतर किया जाएगा।

Sd/-

कार्यपालक निदेशक, टी बोर्ड & पंजीकरण प्राधिकरण

वितरण:

1. संबंधित क्षेत्र के सभी चाय उत्पादक संघ।
2. संबंधित क्षेत्र के सभी चाय पत्ती क्रय उत्पादक संघ
3. संबंधित क्षेत्र के सभी लघु चाय उत्पादक संघ।
4. संबंधित क्षेत्र में स्थित टी बोर्ड के सभी क्षेत्रीय/उप-क्षेत्रीय कार्यालयों को - सभी चाय निर्माताओं, चाय संघों, जिला हरी पत्ती मूल्य निगरानी समिति के बीच परिचालन एवं आदेश के अनुपालन हेतु आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।